न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 159/2020 दायर दिनाँक 17.07.2020

वादी		प्रतिवादीगण
1. विमला फिड़ोदा पत्नि जितेन्द्रराव उम्र 37 वर्ष जाति जाट निवासी बिंचावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राज0।	बनाम्	1. सायरनाथ पुत्र नारायणराम 2. राजू पुत्र बिड़दनाथ (फौत) 2/1 लिछमा पत्नी स्व0 राजु उर्फ रामू 2/2 बाबुलाल पुत्र स्व0 राजु उर्फ रामू 3. प्रेम पुत्र बिड़दनाथ 4. जिवणी बैवा बिड़दनाथ 5. श्रवण पुत्र सोहन 6. पूरण पुत्र सोहन 7. शिवकंवरी बैवा सोहन 8. तुलछीनाथ पुत्र सुजानाथ 9. गुलाबनाथ पुत्र सुजानाथ 10. अशोकनाथ पुत्र स्व. भंवरनाथ 11. मनोजनाथ पुत्र स्व. भंवरनाथ 12. दिनेशनाथ पुत्र स्व. भंवरनाथ 13. सुमन पुत्री भंवरनाथ 14. सरस्वती पत्नि भंवरनाथ 15. किशननाथ पुत्र लालुनाथ 16. प्रेमनाथ पुत्र लालनाथ 17. गंगानाथ पुत्र नारायणनाथ 18. भगवाननाथ पुत्र शंकरनाथ (फौत) 18/1 दुर्गादेवी पत्नी स्व0 भगवाननाथ 18/2 तेजपाल पुत्र स्व0 भगवाननार्थ 19. कानानाथ पुत्र शंकरनाथ 20. पुखराज पुत्र शंकरनाथ 21. फुला बैवा शंकरनाथ समस्त जाति जोगी निवासीगण केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.। 22. ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत केराप, प.स. डीडवाना जिला नागौर राज0। 23. उप तहसील, छोटी खाटू। 24. तहसीलदार डीडवाना जिला–नागौर,(राज)।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.10.08 15:39:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 159/2020
दायर दिनाँक 17.07.2020, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 21.09.2020
विमला बनाम सायरनाथ, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री पूरण सिंह बोहरा वकिल वादीनी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 28.09.2020

सरहद केराप के खेत खसरा सं0 235 रकबा 2.8200 हैक्टयर, खसरा सं0 235 रकबा 1.6100 हैक्टयर, खसरा सं0 335 रकबा 0.8700 हैक्टयर, खसरा सं0 336 रकबा 1.4600 हैक्टयर, खसरा सं0 338 रकबा 0.3700 हैक्टयर, खसरा सं0 1017 रकबा 0.5000 हैक्टयर, खसरा सं0 1018 रकबा 0.7800 हैक्टयर, खसरा सं0 1020 रकबा 1.2200 हैक्टयर, खसरा सं0 1021 रकबा 0.7500 हैक्टयर, खसरा सं0 1022 रकबा 0.2400 हैक्टयर, खसरा सं0 1026 रकबा 1.1200 हैक्टयर, खसरा सं0 1027 रकबा 0.2900 हैक्टयर, कुल रकबा 12.0300 हैक्टयर भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य वाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 21.09.2020 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः 440 दिनाँक 28.09.2020 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांकः 440 दिनाँक 28.09.2020 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.10.08 15:39:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 159 / 2019
दायर दिनाँक 17.07.2020, निर्णय दिनाँक 28.09.2020
विमला बनाम सायरनाथ, वगैरा।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर, सरहद केराप के खेत खसरा सं0 1021 रकबा 0.7500 हैक्टयर, भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 440 दिनाँक 28.09.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 440 दिनाँक 28.09.2020 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

अंतिम निर्णय आज दिनाँक 28.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.10.08 15:39:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 159/2019 दायर दिनॉक 17.07.2020

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. विमला फिडोदा पत्नी जितेन्द्रराव जाति जाट निवासी बिंचावा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सायरनाथ पुत्र नारायणराम जाति जोगी निवासी केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
बन्टवारा, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनॉक 28.09.2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूरणसिंह बोहरा वकील, वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर, सरहद केराप के खेत खसरा सं0 1021 रकबा 0.7500 हैक्टयर, भूमि का "वाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 440 दिनॉक 28.09.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 440 दिनॉक 28.09.2020 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.......................—............... ......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........—.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 28.09.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.10.08 15:39:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner